उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

की

18वीं शासी निकाय की बैठक की कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास
इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, पो०ओ०–न्यू फारेस्ट, देहरादून – 248 006
दूरभाष: 0135–2760897, फैक्स: 0135–2761155
ई–मेल–uabamboo@gmail.com

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, बाँस एवं रेशा विकास परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 20.5.2020 को विश्वकर्मा भवन, सचिवालय में आयोजित शासी निकाय के 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात परिषद् में कार्यरत श्री मेरीसियांग पामेंई, स्ट्रक्चरल अभियंता एवं श्री नरेश, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मनोज चन्द्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद् के विभिन्न गतिविधियों तथा एजेंडा बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया। श्री दिनेश जोशी, कार्यक्रम प्रबंधक, द्वारा प्राकृतिक रेशा विकास के संबंध में परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्यों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। विभिन्न ऐजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निम्न प्रकार निर्णय लिए गए:

एजेंडा बिंदु संख्या – 18.1

अनुशोचन प्रस्ताव

परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज चन्द्रन ने बताया कि श्री मेरीसियांग पामेंई, स्ट्रक्चरल अभियंता जो वर्ष 2006 से कार्यरत थे का दिनांक 16.3.2019 को स्वर्गवास हो गया। श्री मेरीसिंयाग के परिवार में उनकी पत्नी भारतीय स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक पद पर कार्यरत है तथा दो बेटियॉ स्कूल के छात्राएँ हैं।

स्व0 श्री नरेश ग्राम जीवाला (सहारनपुर) परिषद् में लगभग 7 वर्षो से कार्डिंग मशीन ऑपरेटर के रूप में संविदा/मस्टर रोल के आधार पर कार्यरत था। श्री नरेश का डेंगी बुखार की वजह से दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को स्वर्गवास हो गया। इनकी परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश उम्र 50 वर्ष, 3 बेटियॉ जिनके उम्र 23,21 व 14 वर्ष है व एक बेटा उम्र 18 वर्ष का है। वर्तमान में स्व0 श्री नरेश की

घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, घर में कमाई का कोई साधन नहीं है।

श्री नरेश

श्री मेरीसियांग

प्रस्तावः श्री मेरीसियांग पामेंई व श्री नरेश के स्वर्गवास होने पर उनकी परिवार को परिषद् द्वारा अनुशोचन व्यक्त करना चाहें। चूँकी दोनों कार्मिक परिषद् में अस्थायी कार्मिक थे व उनकी किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन का प्राविधान नहीं है, इनकी परिषद् को लंबी अवधि में दिये सेवाओं के मद्देनज़र **दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।**

निर्णय : परिषद् के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के सामान्य निधि से **रू0 7.5–रू0 7.5 लाख की धनराशि दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत किया जाए।** इसमें श्री नरेश की पत्नी को रू 4 लाख सीधे उनके खाते में तथा अविवाहित दो बेटियों व एक बेटे के नाम पृथक–पृथक से प्रत्येक को रू 1.0 लाख की तथा विवाहित बेटी के नाम रू 50000 के कुल चार 5 वर्षीय सावधि जमा के रूप से दिया जाना प्रस्तावित है। श्री मेरीसिंयांग के परिवार हेतु उनके दोनों बेटियों के नाम पृथक–पृथक से प्रत्येक को रू0 3.75 लाख के दो 5 वर्षीय सावधि जमा बनाकर दिया जाए।

एजेंडा बिंदु संख्या –18.2

परिषद् कार्यकारिणी समिति की 16वीं एवं 17वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मनोज चन्द्रन द्वारा समिति को बताया गया कि उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की कार्यकारिणी समिति की 16वीं एवं 17वीं बैठक के कार्यवृत्त परिषद् के पत्रांक 152/1ए/प्रबन्ध कार्यकारिणी दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 तथा पत्रांक 95/एन0बी0एम0 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के माध्यम से समस्त

सदस्यों को प्रेषित किया गया। 16वीं तथा 17वीं बैठक में हुई चर्चा में लिए गए निर्णय तथा उन पर हुई अब तक की कार्यवाही का अनुपालन आख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विस्तार से रखा गया।

अनुपालन आख्या का अनुमोदन करते हुए निम्न निर्णय लिया गया:

कर्मचारी भविष्यनिधि के संबंध में तत्काल एक विशेषज्ञ समिति गठित किया जाए जिसमें वित्त नियंत्रक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट को अवश्य रखा जाए। समिति द्वारा अब तक के देयकों का आंकलन करते हुए समस्त कार्यरत कर्मचारियों के भविष्यनिधि खाता खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

धनौल्टी में निर्माणाधीन बॉस आधारित डॉर्मिटरी का कार्य में अत्यधिक विलम्ब तथा आंकलन में कार्यों का सही प्रकार से उल्लेख न होने के कारण निर्माण कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार अंतिम अनुमान तैयार किया जाए।

एजेंडा– 18.3
वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्के विगत वर्ष के गतिविधियों, चालू कार्यों तथा प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत विवरणब सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

निर्णय:
विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत परिषद् द्वारा अब तक की गई समस्त कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया।

सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया कि प्रधान मंत्री सुनिश्चित रोज़गार योजना के तहत प्रशिक्षण व क्षमता विकास कार्य किया जा सकता है तथा विभिन्न रोपण कार्यक्रम को मनरेगा से भी जोड़ा जा सकता है। रोपण कार्यों हेतु उपलब्ध पौधों के अनुरूप रोपण का लक्ष्य मुख्य विकास अधिकारियों को भी उपलब्ध किया जा सकता है जिसके लिए प्रारंभिक तौर पर एक मैदानी व एक पहाड़ी जनपद चुन लिया जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्विट्सरलैंड के नेटल सर्कल से स्विस दूतावास के माध्यम से हुई वार्ता के बारे में अवगत कराया कि उनके द्वारा बड़ी मात्रा में कण्डाली/नेटल के रेशे का कय हेतु इच्छुक है जिसके लिए सर्वप्रथम कुछ सैंपल भेजे जाने है। परिषद् द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

एजेंडा– 18.4

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की नियमावली में संशोधन के संबंध में

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की नियमावली (संलग्नक 6)के नियम सं0 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार नियमावली में संशोधन प्रस्तावित है:

18.4.1 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मनोज चन्द्रन द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की नियमावली के नियम सं0 9.1 में कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन किये जाने का उल्लेख है, लेकिन समिति का गठन नहीं किया गया है। परिषद् के पॉचवीं बैठक के बिंदु संख्या 3.2 में 7 सदसीय कार्यकारिणी बनाने का सुझाव दिया था परंतु इस पर कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं होना प्रतीत होता है। परिषद् के गतिविधियों को संचालित करने हेतु निम्न प्रकार से कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन कर नियमावली के बिंदु संख्या 9.1 के बाद तालिका के रूप में दर्शाये जानेका निर्णय लिया गया:

क्रम सं0	सदस्यों के नाम/पदनाम	समिति में पद
1	प्रमुख वन संरक्षक, HoFF	पदेन अध्यक्ष
2	अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
3	सहायक आयुक्त, ग्राम्य विकास	पदेन सदस्य
4	अपर निदेशक, कृषि विभाग	पदेन सदस्य
5	अपर निदेशक, उद्यान विभाग	पदेन सदस्य
6	वित्त नियंत्रक, वन विभाग	पदेन सदस्य
7	सेंटर फोर इन्दियन बैम्बू रिसर्च एण्ड टेक्नौलजी – सीबार्ट के प्रतिनिधि	सदस्य
8	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद् – यूकोस्ट के प्रतिनिधि	सदस्य
9	मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्	पदेन सदस्य सचिव

18.4.2 सेवा नियमावली बनाने के अधिकार के संबंध में।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के नियम सं0 12 में नियमों को बदलने की शक्ति व प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, परंतु परिषद् में विभिन्न प्रयोजनों हेतु पृथक नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख नहीं है। अतः नियम सं0 12 में " The board may alter there rules" के पश्चात " or make specific rules for the functioning of the Board "जोड़ना प्रस्तावित किया गया।

निर्णय : अनुमोदित

एजेंडा–18.5

परिषद् में कार्यरत संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् में कार्यरत 15 संविदा कर्मियों द्वारा समान कार्य हेतु समान वेतन तथा अपनी स्थाई नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सिविल मिस रिट **पिटीशन संख्याः 410/2018 (s/s), श्री प्रदीप सती एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि**रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2019के माध्यम से निम्न आदेश पारित किये गये है:–

"Having regard to the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to the chairman, Uttarakhand Bamboo and Fiber Development Board/respondent no. 5 to consider the case of the petitioners for regularization as well as grant of minimum of pay scale and take appropriate decision in accordance with law by passing a speaking order within eight weeks from the date of production of certified copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अपने मुखर आदेश पत्रांक 319/4बी–7 दिनांक 4.12.2019 (संलग्नक 1) द्वारा बोर्ड की नियमावली का आलेख तैयार कर प्रबंध कार्यकारिणी के आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जिसमें संविदा कार्मिकों के संबंध में आयु सीमा में छूट का प्राविधान हो। तदनुसार परिषद् की सेवा नियमावली का आलेख **परिषद् के** अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तावित सेवा नियमावली के अनुसार विभिन्न स्रोतों से भर्ती/विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक रिक्त पदों के सापेक्ष लंबे समय से कार्यरत कार्मिकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में समान कार्य के नियमित कार्मिक को देय वेतन के बराबर न्यूनतम वेतन, डी0ए0 तथा निर्धारित वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.6.2020 से दिया जाना प्रस्तावित है। शेष श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत न्यूनतम मज़दूरी से अनिम्न पारिश्रमिक दिया जाना प्रस्तावित है। जिन श्रमिकों द्वारा रिक्त पदों से इतर श्रम विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत न्यूनतम मज़दूरी के दरों से अधिक दर पर लगांतार कार्य पर है को समय समय पर अधिकतम 10 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की बढ़ौतरी प्रति वर्ष स्वीकृत करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया।

निर्णयः विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत प्रस्तुत सेवा नियमावली का परिषद् का अनुमोदन देते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित नियमावली को शासन को प्रेषित किया जाए तथा शासन द्वारा नियमावली को विधिवत् स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही पदों पर नियमित नियुक्तियॉ किया जाए। जहॉ तक लंबे अवधि से कार्यरत कार्मिकों के नियममितीकरण का प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में विनियमितीकरण की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है। अतः शासन से विनियमितीकरण के स्पष्ट नीति तय होने तक किसी प्रकार का विनियमितीकरण की कार्यवाही फिलहाल संभव नहीं है। कार्मिकों को तब तक समान कार्य समान पारिश्रमिक के आधार पर सेवाऐं ली जा सकती हैं।

एजेंडा– 18.6

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के सम्बन्ध में।

18.6 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के स्मृति–पत्र के अनुसार परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त हैं। अध्यक्ष के पास नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्त अधिकार निहित हैं, परिषद् के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु परिषद् के अध्यक्ष को नामित किया जाना है। परिषद् की 16 वीं बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान में वन एवं ग्रम्य विकास आयुक्त का पद अस्तित्व में नहीं होने के कारण तथा यह पद अपर मुख्य सचिव के समकक्ष होने के कारण अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त को पदेन अध्यक्ष नामित किया जाए। अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के अत्यधिक व्यस्थता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों स्मृति पत्र के अनुसार प्रमुख सचिव/वन एवं गाम्य विकास आयुक्त के स्थान पर प्रमुख सचिव वन को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष नामित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

निर्णयः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों से बेहतर सामन्जस्य हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त को ही परिषद् के अध्यक्ष के रूप में यथावत रखा जाए।

एजेंडा– 18.7

प्रस्ताव मद संख्याः 18.7 श्री एस0टी0एस0 लेप्चा (सेवा निवृत्त आई0एफ0एस0) को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् में सलाहकार नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 08 मई 2019 को राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (State Level Executive Committee) राष्ट्रीय बांस मिशन उत्तराखण्ड की द्वितीय बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (State Level Executive Committee) द्वारा निर्देशित किया गया था कि श्री एस0टी0एस0 लेप्चा पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के अनुभवों का लाभ लेने हेतु परिषद् से जोड़ा जाय। इसी के अनुपालन में श्री एस0टी0एस0 लेप्चा (सेवा निवृत्त आई0एफ0एस0) को परिषद् में अवैतनिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। परिषद् के हित में उनके द्वारा किये जाने वाले भ्रमण के दौरान वाहन व्यवस्था/टी0ए0/डी0ए0 परिषद् के नियमों के अधीन किया जाना प्रस्तावित है। परिषद् के प्रबंध समिति तथा कार्यकारिणी समिति के बैठकों में भी इन्हें विशेष आमंत्री के तौर पर बुलाया जाएगा।

निर्णयः अनुमोदित

एजेंडा– 18.8

परिषद के वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 का अंकेक्षण आर्थिक चिट्ठे का अनुमोदन।

18.8.1 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 3,09,71,772/– था तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 1,89,14,297 की राशि प्राप्त हुई इस प्रकार रू0 4,98,86,069/–की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2016–17में रु. 1,58,76,974/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2017 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ब्याज सहित कुल रू03,40,09,095/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2016–17में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

निर्णयः आर्थिक चिट्ठे के अध्ययन हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाए जिसमें वित्त नियंत्रक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट सदस्य के रूप में सम्मिलित हों। आर्थिक चिट्ठे में ई0पी0एफ कटौती न होने जैसे वैधानिक देनदारियॉ (statutory liabilities) की प्रविष्टियॉ भी सम्मिलित किये जाने है।

18.8.2 इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 3,40,09,095/– था तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 2,48,47,797/– की राशि प्राप्त हुई इस प्रकार रू0 5,88,56,892/–की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2017–18में रु. 3,67,27,515/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2018 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ब्याज सहित कुल रू02,21,29,377/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2017–18में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

निर्णयः आर्थिक चिट्ठे के अध्ययन हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाए जिसमें वित्त नियंत्रक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट सदस्य के रूप में सम्मिलित हों। आर्थिक चिट्ठे में ई0पी0एफ कटौती न होने जैसे वैधानिक देनदारियॉ (statutory liabilities) की प्रविष्टियॉ भी सम्मिलित किये जाने है।

18.8.3 वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 2,21,29,377/– था तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 9,58,67,552/– की राशि प्राप्त हुई इस प्रकार रू0 11,79,96,929/–की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2018–19 में रु. 8,35,46,714/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2019 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ब्याज सहित कुल रू03,44,50,215/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2018–19 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

निर्णयः आर्थिक चिट्ठे के अध्ययन हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाए जिसमें वित्त नियंत्रक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट सदस्य के रूप में सम्मिलित हों। आर्थिक चिट्ठे में ई0पी0एफ कटौती न होने जैसे वैधानिक देनदारियॉ (statutory liabilities) की प्रविष्टियॉ भी सम्मिलित किये जाने है।

एजेंडा– 18.9

सामुदायिक सुविधा केन्द्र पनियाली, कोटद्वार को बॉस उत्कृष्ठता केंद्र के रूप में विकसित करना।

18.9 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा संचालित सामुदायिक सुविधा केन्द्र पनियाली कोटद्वार की स्थापना वर्ष 2004–05 में की गई थी। प्रारम्भिक तौर पर उक्त केन्द्र को डी0सी0एच0, सर रतन टाटा ट्रस्ट, एन0एम0बी0ए0, एफ0ए0ओ0 आदि द्वारा सहायतित परियोजनाओं के सहयोग से किया गया।

उक्त केन्द्र में बांस उपचार एवं प्रसंस्करण में प्रचलित मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना की गई है, जहां पर लगभग 10 से 15 स्थानीय हस्तशिल्पी/कारीगर कार्य करते हैं, जो बांस फर्नीचर, हस्तशिल्प तथा बांस गृह निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। यहॉ फर्नीचर निर्माण इकाई, बॉस गोदाम तथा बैम्बू बाज़ार की स्थापना कार्य भी गतिमान है तथा बैम्बू डेमोन्सटेशन व बैम्बू गार्डन की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर के सेकडों विद्यार्थी, शोधार्थी, उद्यमी तथा बांस आधारित गतिविधियों में जुड़े कारोबारी उक्त सामुदायिक सुविधा केन्द्र में प्रशिक्षण तथा भ्रमण करते हैं। वर्तमान में उक्त सी0एफ0सी0 में केवल 1 सुपरवाईजर (संविदा) पर कार्यरत है जो अकेले केन्द्र को संभालता है, लेकिन केन्द्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उक्त सी0एफ0सी0 का ढ़ांचा तैयार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उक्त सी.एफ.सी व समीपवर्ती बॉस रोपण क्षेत्र, बैम्बूसेटम व पौधालय को सम्मिलित करते हुए बैम्बू सैटर ऑफ एक्सेलेन्स की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त सेंटर का संचालन हेतु निम्न प्रकार संचालन समिति का ढ़ाचा प्रस्तावित किया है :–

अध्यक्ष – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद्

सचिव– प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार

सदस्य – वन क्षेत्राधिकारी, कोटद्वार राजि

सदस्य – प्रबंधक, आजीविका, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद्

सदस्य – प्रबंधक, विपणन, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद्

सदस्य – सहायक विकास अधिकारी, कृषि

सदस्य – सहायक प्रबन्धक, उद्योग

सदस्य – सहायक विकास अधिकारी ग्राम्य विकास।

सदस्य –कनिष्ठ प्रबंधक, बॉस उत्कृष्ठता केंद्र

सदस्य – प्रतिनिधि सिबार्ट

उक्त केंद्र के संचालन हेतु वर्तमान में मात्र एक पद स्वीकृत है। अन्य आवश्यक पदों को सेवा नियमावली के प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। परिषद की सेवा नियमावली के अनुसार तथा परिषद् की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही कार्मिकों की नितांत अस्थायी रूप से नियुक्ति की जानी है। किसी भी पद को स्थायी बनाने हेतु परिषद् का पृथक से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवमुक्त किए जाने वाली अधिष्ठान

संबंधित बजट को इन पदों के कार्मिकों के वेतन हेतु तभी उपयोग में लाया जाएगा जब इन पदों को शासन द्वारा भी स्वीकृत की जाए जिसके लिए पृथक से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः अनुमोदित

एजेंडा– 18.10

प्राकृतिक रेशा उत्कृष्ठता केंद्र, मुनी की रेती ऋषिकेश की स्थापना के सम्बन्ध में।

18.10 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा आइ एल एस पी के तहत प्राकृतिक रेशा केंद्र संचालित किया जा रहा है। उक्त केन्द्र में रेशा प्रसंस्करण में प्रचलित मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना की जा रही है, जहां पर रेशा प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न गतिविधियॉ व प्रदर्शन प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर के सैकडों विद्यार्थी, शोधार्थी, उद्यमी तथा रेशा आधारित गतिविधियों में जुड़े कारोबारी उक्तउत्कृष्ठता केन्द्र में प्रशिक्षण तथा भ्रमण कर सकेंगे। केन्द्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्न प्रकार संचालन समिति का ढ़ाचा प्रस्तावित किया है :–

अध्यक्ष – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद्

सचिव– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेंद्रनगर वन प्रभाग, मुनी की रेती

सदस्य – वन क्षेत्राधिकारी, सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन, मुनीकी रेती

सदस्य – प्रबंधक, आजीविका, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद्

सदस्य – प्रबंधक, विपणन, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद्

सदस्य – सहायक विकास अधिकारी, कृषि

सदस्य – सहायक प्रबन्धक, उद्योग

सदस्य – सहायक विकास अधिकारी ग्राम्य विकास।

सदस्य –कनिष्ठ प्रबंधक, प्राकृतिक रेशा उत्कृष्ठता केंद्र

सदस्य – प्रतिनिधि, निट्रा

सदस्य– भारतीय ग्रामीण संस्था, ढ़ालवाला, ऋषिकेश के प्रतिनिधि

उक्त केंद्र के संचालन हेतु आवश्यक पदों को सेवा नियमावली के प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। परिषद की सेवा नियमावली के अनुसार तथा परिषद् की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही कार्मिकों की नितांत अस्थायी रूप से नियुक्ति की जानी है। किसी भी पद को स्थायी बनाने हेतु परिषद् का पृथक से अनुमोदन लेना

आवश्यक होगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवमुक्त किए जाने वाली अधिष्ठान संबंधित बजट को इन पदों के कार्मिकों के वेतन हेतु तभी उपयोग में लाया जाएगा जब इन पदों को शासन द्वारा भी स्वीकृत की जाए जिसके लिए पृथक से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः अनुमोदित

एजेंडा– 18.11

परिषद् की अवस्थापना विकास के संबंध में

18.11.1 – भवन व स्थान – वर्तमान में परिषद् का संचालन जलागम प्रबंध निदेशालय के भवन की निचले तल पर किया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। अतः परिषद् को अपने भवन व स्थल की आवश्यकता है। इसके लिए स्वयं की अथवा किराये की स्थल व भवन का चयन करने अथवा स्थल पर भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रस्ताव व कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया।

निर्णयः अनुमोदित

18.11.2 – वाहन – वर्तमान में परिषद् के वाहन काफी पुराने हो चुके है। इसके स्थान पर नई वाहनों का क्रय किया जाना है। अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए भी परिषद् का स्वयं का वाहन नहीं है। कोटद्वार व ऋषिकेश में प्रस्तावित उत्कृष्ठता केंद्रों के संचालन हेतु भी वाहन की आवश्यकता है। अतः आवश्यकतानुसार तथा परिषद् के वित्तीय संसाधनों के अनुसार वाहन क्रय करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया।

निर्णयः अध्यक्ष पदेन होने के कारण पृथक से वाहन की आवश्यकता नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेतु वाहन तभी क्रय किया जाए जब पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति/तैनाती हो। अन्य फील्ड स्तरीय वाहनों के क्रय तथा पुराने वाहनों को विष्प्रयोज्य घोषित कर उसके बदले में नए वाहनों के क्रय हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

एजेंडा– 18.12

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा सेः

18.12.1 प्रमुख वन संरक्षक द्वारा सुझाव दिया कि विगत रोपणों का तृतीय पक्ष से अनुश्रवण व मूल्यांकन कार्य किया जाए। परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया।

18.12.2 महानिदेशक, यूकोस्ट द्वारा यह सुझाव दिया कि राज्य में बॉस, रिंगाल तथा प्राकृतिक रेशा प्रजातियों की विविधता का रिसोर्स मैपिंग किया जाए तथा उनके अनुमानित/संभावित उत्पादन के आंकड़े संधारित किया जाए। इसके लिए एक विशेष प्रयास किया जाए। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया।

18.12.3 अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा सुझाव दिया कि वर्तमान में काफी मात्रा में लोग वापस अपने गॉवों की ओर आ रहे है। अतः बॉस, रिंगाल व प्राकृतिक रेशा के रोपण/कल्चरल कार्य तथा विदोहन का कार्य मनरेगा के माध्यम से निष्पादित/युगपितीकरण किये जाने हेतु विचार किया जाए। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया।

18.12.4 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया कि अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में विभिन्न मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विडियो कॉनफेरेंसिंग कर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाए व अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। इससे पूर्व एक संपूर्ण विवरण का लीफलेट बनाकर परिचालित किया जाए।

18.12.5 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया विधान सभा, भराडीसैंण के आसपास सुनियोज्य बॉस व रिंगाल प्रजातियों का रोपण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

18.12.6 अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद् के निर्णयों का शीघ्राधिशीघ्र अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त किया गया।

निर्णयः अनुमोदित

26.05.20

(ओम प्रकाश)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

26.5.2020

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक 20 मई, 2020 को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की शासी निकाय की 18वीं बैठक में उपस्थित अधिकारी/सदस्यगण

बैठक की अध्यक्षता: अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।

दिनांक: 20 मई, 2020 समय: अपराह्न 4:00 बजे।

बैठक का स्थान:– सभागार कक्ष, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

क्रम स0	अधिकारी/सदस्य का नाम	पद नाम तथा विभाग/संस्था	हस्ताक्षर
1	डॉ राजेश कुमार	महानिदेशक UCOST	
2	जय राज	उ. व. सं. / वन विभाग	
3	मनीषा पंवार	ACS, MSME RD	
4	सुभाष चन्द्र	A.S. forest	
5	मनोज चन्दन	CEO	
6	दिनेश जोशी	Progm. Manager	
7	मुकेश सिंह	Head Assistant	
8			
10			
11			
12			